**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)**

**पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस**

**राजस्व विविध प्रकरण सं. 54/2019** Gcms No. 2019/00304

**दायरा तिथि : 13.08.2019**

**आदेश तिथि: 11-07-22**

**प्रार्थीगण:–**

1. रूपाराम पुत्र जेटाजी
2. कंकुदेवी पुत्री जेटाजी जातिगण मीणा
   निवासीगण चिमनपुरा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

**अप्रार्थीगण :–**

1. श्रीमति कीकी पुत्री जगताजी मेणा
   निवासी चिमनपुरा हाल जीवदा तहसील बाली
2. सुरेश कुमार पुत्र छोगारामजी जाति मीणा
   निवासी देसूरी हाल एडवोकेट बाली
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:–

1. श्री हिम्मत धनेरा ................ अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री गणपतलाल चौधरी ............अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार............... पैरोकार सरकार

**–:: आदेश ::–** दिनांक : 11-07-22

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
**सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी प्रस्तुत कर ग्राम चिमनपुरा व चामुण्डेरी में स्थित निम्न वर्णन की भूमियो के संबंध में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक जारी किये जाने का निवेदन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण दखलन्दाजी नहीं करे, नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करे इस हेतु रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति कायम रखी जावे। विवरण भूमि इस प्रकार है:–

**चिमनपुरा में स्थित भूमि का विवरण**

| खसरा नंबर | रकबा |
|---|---|
| 1175 | 0.45 हैक्टर |
| 1176 | 0.74 हैक्टर |
| 1177 | 0.67 हैक्टर |
| 1178 | 0.75 हैक्टर |
| 1179 | 0.02 हैक्टर |
| 1180 | 1.97 हैक्टर |
| कुल खसरा–6 | 4.60 हैक्टर |

**चामुण्डेरी में स्थित भूमि का विवरण**

| | |
|---|---|
| 1945 | 0.23 हैक्टर |
| 1946 | 0.02 हैक्टर |
| 1947 | 1.68 हैक्टर |
| कुल खसरा–03 | 1.93 हैक्टर |

अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसके निम्न आधार बताये–

1. यह है कि वर्णित खातेदारी भूमि प्रार्थीगण की कब्जा सुदा व मालिकाना हक की आई हुई स्थित है। उक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या–01 का नाम 1/2 खातेदारी में चल रहा है। मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। शादी होने के बाद से उसका कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त भूमि में पूर्व में 1/3 हिस्सा खुमा पुत्र गजा जाति मीणा का नाम था जो प्रार्थी संख्या–01 ने अपने खर्च से अपने हक में कराया परन्तु खातेदारी में अब 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का तथा 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण का दर्ज है जो गलत है। नथु पत्नि जेटा की मृत्यु नौ महिने पहले हो चुकी है।
2. यह है कि उपरोक्त भूमि के अलावा स्व. मीठा के पुत्रगण स्व. जेटा व जगता के ओर भी पुश्तैनी भूमि थी स्व0 जेटा व स्व0 जगता ने अपने जीवनकाल में पुश्तैनी भूमि का बंटवारा कर दिया था, तथा स्व0 जगता के बंट की दुसरी भूमि (कुआ) उनके पुत्र न होने से तथा स्व0 जेटा के भी एक मात्र पुत्र रूपाराम होने से अन्य व्यक्ति को बेच दी तथा वाद में वर्णित भूमि स्व0 जेटा के बंट की रही परन्तु खातेदारी में दोनो भाईयों के नाम थे, तथा न तो रजिस्टर्ड बंटवारा कराया ना ही हकत्यागनामा करवाया विश्वास में रहकर रेकर्ड चलता रहा। स्व0 जगता की पत्नि चम्पा शुरू से ही प्रार्थी रूपा के साथ रही व अप्रार्थी की शादी का सारा खर्च उसके बाद के सारे खर्च प्रार्थी रूपा ने किये तथा स्व0 श्रीमति चम्पा पत्नि जगता की परवरिश की उसकी मृत्यु अभी अभी करीब डेढ साल पहले हुई उसका सारा खर्चा भी प्रार्थी ने किया। भूमि की लिगाडी भी आज तक प्राथी ने भरी है तथा भूमि का विकास किया। फसल मौके पर प्रार्थी की खडी है।

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

**राजस्व विविध प्रकरण सं. 54/2019 Gems No. 2019/00304**
**अनवान रूपाराम वगैरा बनाम कीकी वगैरा**
**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
**सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

3. यह हैं कि चम्पा की मृत्यु के बाद अप्रार्थीनी कीकी ने अप्रार्थी संख्या–02 से मिलकर नामान्तरकरण कराया अप्रार्थी संख्या–02 जाति से मेणा होने व बाली न्यायालय में वकील होने से यह जानते हुये कि उपरोक्त भूमि का मालिकाना हक एक नाम मात्र जेठा के वारिशदारो का है बहला फुसला कर धन का लोभ देकर बिना कब्जे के ही अपने हक में बेचान की तथा चिमनपुरा की भूमि का रजिस्ट्रेशन दिनांक 16.09.2013 को करा दिया तथा अब अपने हक में म्यूटेशन की कार्यवाही कर रहा है। तब प्रार्थी को पता लगा तो रजिस्ट्री की नकल ली जिससे वाद बाबत् घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा का इस अमर का पेश किया हैं कि उक्त भूमि प्रार्थी के बंट की हाने से तथा अप्रार्थी की जानकारी में होते हुए लगातार शांतिपर्वूक कब्जा व काश्त पिछले 40–50 वर्षो से चला आ रहा हैं। जिससे भी एडवर्स पजेशन से खातेदार हो चुका हैं फिर भी अप्रार्थी संख्या–01 ने अप्रार्थी संख्या–02 को बेचान कर दी। जिससे उक्त भूमि का खातेदार प्रार्थी को घोषित किया जाकर शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण हस्तक्षेप न करे न ही अन्यो से करावे इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जरावे तथा चामुण्डेरी की भूमि बेचान दान गिरवी आदि नहीं करे।

4. यह हैं कि अप्रार्थी संख्या–02 यह भली भांति जानता हैं कि अप्रार्थीगण संख्या–01 का मौके पर कब्जा कास्त नहीं हैं तथा न ही उसका हक हैं फिर भी जानबुजकर दादागिरी से कब्जा प्राप्त करने हेतु भूमि खरीद की हैं जबकि भूमि का मौके पर कानूनन कभी बंटवारा भी नहीं हुआ है जिससे बिना बंटवाडे के तथा बिना कब्जे के बेचान शून्य है फिर भी अप्रार्थी संख्या–02 दादागिरी से कानून हाथ में लेकर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है वादी अनपढ व गरीब हैं व कास्त कर रहा हैं। अप्रार्थी संख्या–02 पेशे से वकील है तथा धनवान हैं जिससे बाहुबलियो के मार्फत भी कब्जा कर सकता है। जिसे रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। कानूनन बिना बंटवाडे के भौतिक रूप से कब्जा भी अप्रार्थी संख्या–02 प्राप्त नहीं कर सकता। अप्रार्थी संख्या–03 के विरूद्ध भी स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। जिनको बिना कब्जे के नामान्तरकरण करने व कराने से रोका जाना आवश्यक हैं।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी चामुण्डेरी की भूमि की संवत् 2068 से 2071, जमाबंदी चिमनुपरा संवत् 2068 से 2071 की, पासबुको की प्रतियाँ, बेचान रजिस्ट्री की फोटो प्रति एवं बिगोडी रसीदो की फोटो प्रतियाँ पेश की गई।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से बिन्दुवार निम्नानुसार पेश किया गयाः–

1. यह हैं कि वर्णित कृषि भूमि मौजा चिमनपुरा व चामुण्डेरी में 1/2 हिस्से के खातेदार प्रार्थीगण हैं व शेष 1/2 हिस्से के खातेदार अप्रार्थी संख्या–01 होने से उसने अपना सम्पुर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या–02 को दिनांक 16.09.2013 को रजिस्टर्ड बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया हैं। प्रार्थी का यह लिखना कि अप्रार्थी संख्या–01 का वर्णित आराजी में मौके पर कब्जा नहीं हैं व शादी होने के बाद में कभी उसका कब्जा काश्त नही रहा हैं। पूर्ण रूप से गलत है तथा प्रार्थीगण ने यह भी गलत दर्शाया हैं कि उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा पूर्व में खूमा पुत्र गजा जाति मीणा के नाम का था जो प्रार्थी संख्या–01 ने अपने खर्चे से अपने हक में कराया। परन्तु खातेदारी में अब 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का तथा 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण का दर्ज है। जो पूर्ण रूप से गलत हैं जो 1/3 हिस्से की भूमि प्रार्थी संख्या–01 व अप्रार्थी संख्या–01 के माता पिता ने बराबर राशि खर्च कर खरीदी थी व कब्जा प्राप्त किया था।
2. यह हैं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं इस पद का जवाब हैं कि स्व0 जेठा व स्व0 जगता ने अपने जीवनकाल में पद संख्या–01 में वर्णित कृषि भूमि का बंटवाडा कर दिया था उसी बंटवाडे के माफिक प्रार्थीगण के कब्जे में 1/2 हिस्से की खातेदारी मौके पर लाल रंग से दर्शायी गई हैं। तथा अप्रार्थी संख्या–01 के पिता के बंट मे 1/2 हिस्से की जमीन संलग्न नक्शे में आसमानी रंग से दशायी गयी हैं तथा उसी बंटवाडे के माफिक दोनो भाई जेठा व जगता अपने अपने हिस्से की जमीन पर अरसे दराज से काबिज हैं तथा दोनो भाईयो ने अपने अपने बंट मे आयी हुई कृषि भूमि पर विकास किया व कब्जा काश्त कर अपना जीवन यापन करते आ रहे थे। अप्रार्थी संख्या–01 के पिता जगता की मृत्यु होने पर 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर मृतक जगता की पत्नि चम्पा खातेदार बनी व उसका 1/2 हिस्से पर कब्जा बदस्तूर चलता रहा था। अभी डेढ वर्ष पहले मृतक जगता की पत्नि चम्पा की मृत्यु होने पर 1/2 हिस्से के खातेदार अप्रार्थी संख्या–01 बनी जिसका उपरोक्त वर्णित आराजी में कब्जा काश्त था तथा अपने हिस्से अनुसार बिगोडी भी जमा कराती आ रही हैं। तथा इस वर्ष भी मौके पर अप्रार्थी संख्या–01 ने तील की फसल बोयी थी। इस पद में प्रार्थीगण द्वारा यह लिखना कि मृतक जेठा व जगता के बीच में बंटवाडा नहीं हुआ पूर्ण रूप से गलत हैं। तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण संलग्न नक्शे के अनुसार मौके पर काबिज हैं मृतक जगता की पत्नि चम्पा शुरू से प्रार्थी रूपा के साथ में रही हो व अप्रार्थी संख्या–01 की शादी का सारा खर्चा भी प्रार्थी रूपा ने उठाया हो व मृतक चम्पा की मृत्यु पर सारा खर्चा भी प्रार्थी ने उठाया हो यह पूर्ण रूप से गलत हैं जगता की पत्नि चम्पा कभी भी प्रार्थी रूपाराम के साथ में नहीं रही तथा न ही अप्रार्थी संख्या–01 के शादी का खर्चा व मृतक चम्पा की मृत्यु के बाद का खर्चा प्रार्थी रूपाराम ने उठाया हो। ये सारे तथ्य प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या–01 व 02 की जमीन हडपने की नियत से लिखाये हैं।

पेज लगातार........03

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

**राजस्व विविध प्रकरण सं. 54/2019 Gcms No. 2019/00304**
अनवान रूपाराम वगैरा बनाम कीकी वगैरा
**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
**सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

3. यह हैं कि पद संख्या–03 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थी संख्या–01 कीकी ने वर्णित कृषि भूमि में अपनी माता के स्थान पर अपना नामान्तरकरण बिलकुल कानूनी रूप से कराया हैं तथा उक्त 1/2 हिस्से की खातेदार मालिक अप्रार्थी संख्या–01 की माता चम्पा थी जिससे फौतेदगी नामान्तरकरण भरवाने का अप्रार्थी संख्या–01 का पूरा अधिकार था तथा उक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त होने से व खातेदार होने से अप्रार्थी संख्या–01 ने अपने 1/2 हिस्से के खातेदारी हक का दिनांक 16.09.2013 को अप्रार्थी संख्या–02 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया हैं जिसका आज भी मौके पर कब्जा हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा है तथा 1/2 हिस्से पर पहले अप्रार्थी संख्या–01 का कब्जा काश्त था जो रेकर्ड से पूर्ण रूप से साबित हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कहना कि अप्रार्थी संख्या–01 के हिस्से में आई हुई कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का 40–50 वर्षो से शांतिपुर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। तथा वह एडवर्स पजेशन से खातेदार हो चुका हैं। पूर्ण रूप से गलत हैं मौके पर 1/2 हिस्से में पूर्व में अप्रार्थी संख्या–01 के पिता व उसके बाद में माता चम्पा व उसकी मृत्यु के बाद में अप्रार्थी संख्या–01 का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। तथा उसी आधार पर कानूनी रूप से अप्रार्थी संख्या–01 ने उपरोक्त आराजी में अपने 1/2 हिस्से का अप्रार्थी संख्या–02 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया हैं। तथा उपरोक्त वर्णित भूमि का पूर्व बंटवाडा अनुसार अप्रार्थी संख्या–02 को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया हैं। जिससे वे किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं हैं। तथा प्रार्थीगण को भी कोई अधिकार नहीं हैं कि वे अपने खातेदारी के हिस्से से ज्यादा कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी अप्रार्थी संख्या–02 के कब्जा काश्त में करे।

4. यह हैं कि पद संख्या–04 का जवाव हैं कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त हैं तथा बाजारू किमत देकर अप्रार्थी संख्या–01 से अप्रार्थी संख्या–02 ने 1/2 हिस्से की आराजी खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हैं तथा मौके पर बंटवाडा हो रखा हैं। उसी माफिक अप्रार्थी संख्या–02 अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज हैं जिससे प्रार्थीगण का यह लिखना कि बाहुबलियो के मार्फत कब्जा कर सकते हैं। पूर्ण रूप से गलत हैं।

जवाब में अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–01 का उपरोक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त होने से तथा अप्रार्थीनी स्वयं 1/2 हिस्से की खातेदार होने से अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या–02 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया हैं। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के हक में हैं तथा नामान्तरकरण भी अप्रार्थी संख्या–02 के पक्ष में भर दिया हैं। बेचान के आधार पर नामान्तरकरण होने से एक खातेदार की हैसियत से कब्जा अप्रार्थी संख्या–02 का है, जिससे सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के हक में हैं। अप्रार्थी संख्या–02 अपनी खरीद शुदा भूमि पर मौके पर काबिज काश्त होते हुये यदि अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं तो इससे अप्रार्थीगण को भारी असुविधा एवं आर्थिक कठिनाईयो का सामना करना पडेगा। जिससे अपुरणीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से जवाब प्रस्तुती के बाद लम्बे समय तक पत्रावली बहस के लिये लंबित रही। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थीगण श्री हिम्मत धनेरा ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि अप्रार्थी संख्या–01 प्रार्थी के भाई की पुत्री है प्रार्थीगण परिवार मीणा जाति के सदस्य होने से मीणा जाति के सदस्यो पर हिन्दु मिताक्षरा लागू न होकर पर्सनल लॉ लागू होता है, जिसके अनुसार पुत्रियो को कोई हक प्राप्त नहीं होते है। अप्रार्थी संख्या–01 प्रार्थी के भाई की पुत्री है, जिसके शादी व अन्य खर्च सभी प्रार्थी ने ही किये है तथा ससुराल जाने से पीहर की कृषि भूमि में उसके कोई हक अधिकार नहीं बनते है। परन्तु फिर भी अप्रार्थी संख्या–02 से मिलकर ग्राम चिमनपुरा स्थित भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/2 हिस्सा का अप्रार्थी संख्या–02 को दिनांक 16.09.2013 को बेचान करते हुये नामान्तरकरण दर्ज करवा दिया। अप्रार्थी संख्या–02 उक्त भूमि में अजनबी खरीदकर्ता होने से बिना विभाजन के इस भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अप्रार्थी संख्या–02 बाहुबलियो की मदद से ऐसा कर सकता है। इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत घोषणा खातेदारी एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के निर्णय तक रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति कायम रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील प्रार्थीगण द्वारा निम्न कानूनी उदहरण पेश किये गये:–

1. **R.R.D.** 2002 पेज 31
2. **R. R.T.** 2004 (1) पेज 607
3. **R.R.T.** 2004 (1)पेज 611
4. **R R.T.** 2004(1) पेज 667
5. **R.R.D.** 1996 पेज 148
6. **R.R.D.** 1988 पेज 61
7. **R R.T.** 2016 पेज 1437
8. **R R.T.** 2018–19(supp.) पेज 497 से 499

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार.........04
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

**राजस्व विविध प्रकरण सं. 54/2019 Gcms No. 2019/00304**
अनवान रूपाराम वगैरा बनाम कीकी वगैरा
**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
**सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

वकील प्रार्थी पक्ष की दलीलो का खण्डन करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि अप्रार्थी संख्या–01 अपने पिता जगता के वादग्रस्त भूमि में निहित 1/2 हिस्से की खातेदार दर्ज हुई। तथा अप्रार्थी संख्या–01 खातेदार को अपने हिस्से की कृषि भूमि के बेचान के विधिक अधिकार होने से प्रार्थना पत्र में वर्णित चिमनपुरा व चामुण्डेरी स्थित भूमियों में अप्रार्थी संख्या–01 का 1/2 हिस्सा का बेचान रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 16.09.2013 के माध्यम से अप्रार्थी संख्या–02 के पक्ष में किये जाने से विधिक प्रावधानो के तहत अप्रार्थी संख्या–02 के नाम नामान्तरकरण दर्ज होकर अधिकार अभिलेखों में 1/2 हिस्से में अप्रार्थी संख्या–02 का नाम दर्ज हुआ। तथा अप्रार्थी संख्या–02 अपने खरीद शुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या–01 व प्रार्थीगण के पुर्वजो के समय से मौके पर किये गये बंटवाडे अनुसार 1/2 हिस्से में आई भूमि पर काबिज हुआ। प्रार्थीगण विधिक प्रावधानो के तहत सह खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कराने के अधिकारी नहीं बनते है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थीगण की पर्सनल लॉ की दलील को सिरे से खारिज करते हुये दलील दी कि प्रार्थी व अप्रार्थी पक्ष हिन्दु मिताक्षरा से गवर्न होते है। जिसमें धारा 08 के अनुसार पुत्र व पुत्रियो को समान हक अधिकार प्राप्त होते है। विद्वान् वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान् प्रार्थीगण की विरोधाभाषी दलीलो की ओर भी ध्यान आकृष्ट कर दलील दी कि प्रार्थीगण भी दो है, जिसमें से एक स्त्री है, जब अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं यह मानते हैं कि स्त्रियो को मीणा जाति में हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है, तो प्रार्थी संख्या–02 किस हैसियत से घोषणा खातेदारी एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा की मांग के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार रखती है। यदि आदिम जाति का पर्सनल कस्टम लॉ है तो उसे प्रार्थी पक्ष को प्रस्तुत करना चाहिये था, प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई पर्सनल लॉ पेश नहीं किया। मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से गलत वाद एवं उक्त अस्थाई निषेधज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो प्रथम दृष्ट्या अप्रार्थीगण के पक्ष में बनने, सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपुरणीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी पक्ष बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने की दलील दी गई। विद्वान् वकील अप्रार्थी पक्ष द्वारा यह भी दलील दी गई कि राजस्व रेकर्ड में पहले जगता खातेदार दर्ज रहे, उनके देहान्त के बाद उनकी पत्नि चम्पा खातेदार रही तथा चम्पा की मृत्यु के बाद 1/2 हिस्से की खातेदार अप्रार्थी संख्या–01 कीकी रही। धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज को सही माने जाने के प्रावधान है। जिस तथ्य को जानते हुये प्रार्थी पक्ष द्वारा गलत व झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया हैं, जो खारिज किया जावे। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील अप्रार्थी पक्ष श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गयेः–

1. **R.R.D.** 2003 पेज 540
2. **R.R.D.** 1997 पेज 447, 591
3. **R.R.T.** 2014(2) पेज 1361
4. **R.R.D.** 2004 पेज 112
5. **R.R.T.** 2014–15( supp.) पेज 657

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत् विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता हैः–

**1. प्रथम दृष्ट्या मामला बननाः–**

प्रथम दृष्ट्या मामला बनने के परीक्षण का आधार राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति है। पत्रावली पर पंजिकृत विक्रय विलेख दिनांक 16.09.2013 की प्रति के अनुसार ग्राम चिमनपुरा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180 कुल खसरा–06 कुल रकबा 4.60 हैक्टर के 1/2 हिस्सा के खातेदार कीकी पुत्री जगताजी के द्वारा अपना 1/2 हिस्सा प्रतिफल राशि प्राप्त करते हुये खरीदकर्ता श्री सुरेशकुमार पुत्र छोगाराम मीणा निवासी देसूरी हाल बाली को बेचान करना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 की प्रति के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 20.12.2013 के द्वारा कीकी पुत्री जगता के स्थान पर सुरेशकुमार मीणा पुत्र छोगाराम मीणा जाति मीणा सा. देसूरी हाल बाली दर्ज होना भी प्रमाणित है। एवं ग्राम चामुण्डेरी स्थित भूमि खसरा नंबर 1945, 1946, 1947 कुल खसरा–03 कुल रकबा 1.93 हैक्टर में नामान्तरकरण संख्या 1708 दिनांक 20.12.2013 से कीकी पुत्री जगता के स्थान पर सुरेशकुमार पुत्र छोगाराम मीणा जाति मीणा सा. देसूरी हाल बाली दर्ज होना भी प्रमाणित है। इस तथ्य को लेकर दोनो पक्षो में कोई विवाद नहीं है, अर्थात् प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता इस तथ्य को स्वीकार करते है। प्रार्थी पक्ष की यह दलील हैं कि कीकी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज चल रहा है, उनकी मान्यता हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–01 का परिवार हिन्दु मिताक्षरा से गवर्न नहीं होकर मीणा जाति आदिम जाति होने से पर्सनल कस्टम के अनुसार पुत्रियो व स्त्रियो को कोई हक अधिकार नहीं होते है। चूँकि प्रार्थी संख्या–01 रेकर्ड में 1/2 हिस्सा की खातेदार दर्ज थी, तथा उसके द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या–02 को वर्ष 2013 में किये जाने के बाद अप्रार्थी संख्या–02 बतौर सह खातेदार अधिकार अभिलेखों में चल रहा है। रिकार्डेड सह खातेदार को अजनबी क्रेता की संज्ञा नहीं दी जा सकती। विधि के प्रावधानो अनुसार रेकार्डेड खातेदार का मौके पर कब्जा भी माना जाता है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। प्रार्थीगण का अनुतोष घोषणा खातेदारी का है, जब तक प्रार्थीगण अधिकार अभिलेखों से ग्राम चिमनपुरा स्थित

पेज लगातार.........05

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

**राजस्व विविध प्रकरण सं. 64/2019 Gems No. 2019/00304**
**अनवान रूपाराम वगैरा बनाम कीकी वगैरा**
**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
**सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

भूमि एवं चामुण्डेरी स्थित भूमियो से अप्रार्थी का नाम विलोपित नहीं करा देते तब तक धारा 212 आर.टी.एक्ट. के तहत किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते है। जिसके लिये प्रार्थी पक्ष द्वारा घोषणा खातेदारी एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया हुआ है, जिस वाद में यदि शहादत इत्यादि के माध्यम से वाद प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हो जाता है, तो उन्हे चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जावेगा। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में दर्ज सह खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई आज्ञाप्ति जारी नहीं की जा सकती। जिससे उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

**2. सुविधा का सन्तुलनः–**

बिन्दु संख्या–01 में किये गये विवेचन के अनुसार ग्राम चिमनपुरा एवं ग्राम चामुण्डेरी स्थित भूमियो में वर्तमान में बतौर सह खातेदार सुरेशकुमार पुत्र छोगाराम मीणा दर्ज हैं। प्रार्थीगण के आवेदन अनुसार अप्रार्थी पक्ष के विरूद्व यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे अप्रार्थी पक्ष को वादग्रस्त भूमियों में निहित अपने 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग से वंचित होना पडेगा। इसके विपरित यदि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने 1/2 हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करेगे तथा अप्रार्थी भी अपने 1/2 हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करेगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। प्रार्थना पत्र खारिज होने की दशा में प्रार्थी पक्ष का वाद विचाराधीन रहेगा, जिस वाद में यदि शहादत इत्यादि के माध्यम से प्रार्थीगण के पक्ष में वाद साबित हो जाता है तो उन्हे चाहा गया अनतोष प्राप्त हो जावेगा। उक्त विवेचन से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व व अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

**3. अपुरणीय क्षति का मामलाः–**

बिन्दु संख्या–01 में किये गये विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम चिमनपुरा व चामुण्डेरी की भूमियो में 1/2 हिस्सा के खातेदार प्रार्थी पक्ष व 1/2 हिस्सा के खातेदार अप्रार्थी संख्या–02 वर्ष 2013 से चले आ रहे है। तथा इससे पहले अप्रार्थी संख्या–01 व उसकी माता चम्पा रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राजो को घोषणात्मक वाद के द्वारा चुनौती दी जा चुकी है। जो घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है। वाद के विचारण रहते हुये प्रार्थी पक्ष द्वारा अधिकार अभिलेखों में दर्ज 1/2 हिस्सा के सह खातेदार अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुये है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित प्रथम बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला ही जब प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपुरणीय क्षति नहीं होगी। इसके विपरित यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं तो अप्रार्थी को अपने खातेदारी हक हकूको की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित होना पडेगा। जिससे अप्रार्थी को अपुरणीय क्षति होना संभाव्य है। जिससे उक्त बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में तथा प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

**–:: आदेश ::–**

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित होने से प्रार्थीगण द्वारा ग्राम चिमनपुरा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180 कुल खसरा–06 कुल रकबा 4.60 हैक्टर के 1/2 हिस्सा के खातेदार एवं ग्राम चामुण्डेरी स्थित भूमि खसरा नंबर 1945, 1946, 1947 कुल खसरा–03 कुल रकबा 1.93 हैक्टर के 1/2 हिस्सा के खातेदार सुरेशकुमार मीणा पुत्र छोगाराम मीणा के विरूद्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.सी. बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर मूल राजस्व वाद संख्या 85/2013 बअनवान रूपाराम वगैरा बनाम कीकी वगैरा के संलग्न होकर संख्या से कम हो।

(सुश्री धायगुडे सोहेल ज्ञानी)
आई.ए.एस.
परिवीक्षाधीन सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 11-07-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)